छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार,दिनांक 20 मार्च, 2023 (फाल्गुन 29, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–19 के अंतर्गत बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 95/छ.रा.वि.नि.आ./2022, दिनांक 20 दिसम्बर,2022 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन शर्तें) विनियम, 2022 पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–2021 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में श्रम विभाग अंतर्गत संचालित औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इंडस्ट्रियल हाईजीन लेबोरेटरी में नियम विरूद्ध सहायक संचालक (इंडस्ट्रियल हाईजीन) के पद पर नियुक्ति की जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, सरगुजा संभाग के भटगांव में रेत माफिया के द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चंद्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति का एक सौ दोवां से एक सौ अठाईसवां तक 27 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री अरूण वोरा, सभापति, याचिका समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम धनोरा में हाई स्कूल खोलने,

(ii) ग्राम चेमा में हाई स्कूल खोलने,

(iii) ग्राम बयानार कोरहोबेड़ा मार्ग से मड़ागांव तक सड़क निर्माण करने,

(iv) ग्राम बांसगांव से जोगीआलवाड़ मार्ग में फोकटी नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(2) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम कुथरेल में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम खौना में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर से महराजपुर तक सड़क निर्माण करने,

(4) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम कोड़ातराई में कन्या माध्यमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने

(ii) सरिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने,

(iii) ग्राम ठेंगागुड़ी से तोरा तक पुलिया सहित सड़क निर्माण करने तथा

(iv) ग्राम छोटे मानिकपुर से कान्दूरपाली–अमुर्रा मार्ग तक सड़क निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 3

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2023–2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

2 घंटे (1) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	33	आदिम जाति कल्याण
मांग संख्या	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
मांग संख्या	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल
मांग संख्या	49	अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या	53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	64	अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन
मांग संख्या	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	27	स्कूल शिक्षा
मांग संख्या	17	सहकारिता

1 घंटा (2) **श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन
मांग संख्या	35	पुनर्वास
मांग संख्या	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

क्रमशः 4

निर्धारित समय

1 घंटा (3) **डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय

मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण

मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 18 श्रम

1 घंटा (4) **श्री अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 19 मार्च,2023